	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 229/2012 बउनवान भारथाराम वगै. बनाम हरिया वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री महेन्द्रकुमार रामावत उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने फॉर्म नं. 03 के संलग्न दस्तावेज पेश किये शामिल मिसल हो। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व अपनी शाहदत में पूर्णतया प्रमाणित किया मगर अपीलांट व उसके गवाहन के बयान न मानने का कोई कारण अपने न्याय निर्णय में नहीं दिया है जिससे यह माना जावेगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद व अपीलांट के बयानों को बिना पढे अपना निर्णय करने में इंसाफन व कानूनन भूल की है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटगण की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के वाद को तकनीकी आधार पर ही खारिज किया गया। अपीलांटगण/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है। अपीलांटगण/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिगाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील आंषिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 449/2010 बअनवान भारथाराम वगै. बनाम हरिया वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2012 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर